

— ई० ई० कम्पनी के अधीन भारत में भूराजस्व व्यवस्था —

स्थायी बन्दोबस्त — 19% भूमि पर (बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं उत्तरी कर्नाटक)

महालवादी — 30% भूमि पर (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ)

रेंपतवादी — 51% भूमि पर (मद्रास, बम्बई, असम आदि)

— स्थायी बन्दोबस्त में कुल लगान का 89% जमींदारों से प्राप्त करके 11% उनके हिस्से में दोड़ दिया जाता था। लॉर्ड कान्ग्रामिस। 10 वर्ष के लिए

— महालवादी में ग्रामों के समूह या महाल से शकटा लगान वसूला जाता था यह पूर्वकामिक नवबो की लगान से काफी ज्यादा थी जो पहले वर्ष में ही 20 लाख रुपये अधिक थी। तीन वर्ष बीतते बीतते 10 लाख रुपये और वार्षिक वृद्धि कर दी गयी।

1822 में लॉर्ड मेकेन्जी द्वारा पुनः सर्वेक्षण कराये गये लगान को लागू कर दिया गया जो अत्यधिक था।

रेंपतवादी को लॉर्ड मुररो (1820-27) एवं रीड ने लागू किया।

1824-28 तक प्रिंगल ने भूमि का सम्यक सर्वेक्षण कर राज्य का भाग शह उपज का 5% निर्धारित किया जो अनायतपूर्ण था फलतः कृषक कृषि से विमुख होने लगे। खेत बेजर होने लगे।

1833 के रेग्यूलेशन में विशेष सहमति बरती गयी। भूमि के अक्षर
मिन्न-मिन्न आंशत भाव (स्वतंत्र) विनियमित किये गये।

इस नयी योजना की शुरुआत मार्नि बर्ड की निगरानी
में लागू हुई। उन्हें उत्तरी भारत में भूमि व्यवस्था के प्रवर्तक
के नाम से जाना जाता है।

इसमें भाव 66% निश्चित किया गया किन्तु यह अधिक
होने की वजह से सफल नहीं हो सका। आगे ब्लेहोपी ने इसका
पुनरीक्षण कर 50% निर्धारित किया।

1835 में लेफ्टिनेंट विंगेट को भूमि सर्वेक्षण का अर्धाधिकार
निष्पन्न किया गया। उन्होंने 1847 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
इसमें जिले के भूगर्भ स्थिति एवं कृषकों की देय क्षमता के
आधार पर लगान तय किया गया। यह व्यवस्था 30 वर्ष के
बिल निश्चित की गयी परन्तु यह भी कठोरता पर आधारित थी।

भू व्यवस्था का पुनः कार्य 1868 में प्रारम्भ किया गया। अमेरिकी

गृह युद्ध के परिणामस्वरूप कपास के मूल्य में वृद्धि हो गयी।
इस वृद्धि के कारण सर्वेक्षण अधिकारियों को 66% से 100% तक
भू कर बढ़ाने का मौका मिला। इसके स्वयं में कृषकों को
-यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं था।

इस कठोरता के कारण 1875 में कृषि उपज
हुए। इससे प्रेरित होकर सरकार ने 1879 में दक्कन रूल

अधिनियम पारित किया। जिसमें कृषकों को साहुकारों के विरुद्ध
संरक्षण प्राप्त हुआ।